लोक सम्पर्क विभाग, चण्डीगढ़ प्रशासन

www.chandigarh.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति

चण्डीगढ़, 25 अगस्त – चण्डीगढ़ के जिला मैजिस्ट्रेट श्री ब्रिजेंद्र सिंह ने यूटी चण्डीगढ़ में अवयस्क बच्चों को करेक्शन फ्लूड (संशोधन तरल पदार्थ) बेचने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। प्रतिबन्ध 26 अगस्त, 2010 से लागू होगा और 24 अक्टूबर, 2010 तक प्रभावी रहेगा।

यह आदेश धारा 144 सी.आर.पी.सी. के तहत आपातकालीन परिस्थितियों के मापदंडों के अन्तर्गत लागू किया गया है। यह आदेश इस बात को ध्यान में रखकर लागू किया गया है कि कुछ अवयस्क बच्चे, जिनमें विशेष रूप से स्कूली बच्चे शामिल हैं, टाईपिस्टों द्वारा टाइप करने में हुई गलती को संशोधित करने हेतु प्रयोग किए जाने वाले करेक्शन फ्लूड का प्रयोग कर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे सकते हैं।